UPBD010020462026

न्यायालय–सेशन न्यायाधीश, बांदा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–915 / 2026

देवेश तिवारी पुत्र रामकिशोर तिवारी, निवासी–ग्राम महुआ, थाना–गिरवां, जिला–बांदा।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या–125 / 2026
धारा–80(2), 85 बी.एन.एस. व धारा–3 / 4 डी0पी0 एक्ट
थाना–गिरवां, जिला–बांदा।

दिनांक 03.06.2026

1. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त देवेश तिवारी की ओर से मु0अ0सं0 125 / 2026 धारा–80(2), 85 बी.एन.एस. व धारा–3 / 4 डी0पी0 एक्ट थाना–गिरवां, जिला–बांदा में जरिये विद्वान अधिवक्ता जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र विनोद तिवारी के शपथपत्र से समर्थित है।

2. अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सुरसरिदत्त अरजरिया द्वारा संबंधित थाना–गिरवां, जिला–बांदा में इस आशय की तहरीर दी गयी है कि उसने अपनी पुत्री का विवाह दिनांक 12.05.2019 को देवेश तिवारी पुत्र रामकिशोर तिवारी, निवासी–ग्राम महुआ, थाना–गिरवां, जनपद–बांदा के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के मुताबिक सम्पन्न कराया था एवं पति सहित जेठ अरूण तिवारी व जेठानी मंजू एवं भतीजे पियूष तिवारी की मांग के मुताबिक करीब 10 लाख रूपये का दान के रूप में दहेज देकर विदा किया, परन्तु ससुरालीजन फिर भी संतुष्ट नहीं हुए और शिवानी से कहा अपने पिता से एक चार पहिया गाड़ी और दिलाओ उसको जब शिवानी ने बताया तो उसने पंचायत जोड़कर चार पहिया दे पाने में असमर्थता जतायी और शिवानी जीवन जीने की गरज से पति सहित उक्त ससुरालीजनों की प्रताड़ना बर्दास्त करती रही और इस बीच देवेश व शिवानी के संसर्ग से एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम अथर्व है, जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष है। दिनांक 23.09.2025 को देवेश द्वारा एक सौ रूपये के स्टाम्प पर हस्ताक्षर करके यह लिखकर दिया था ''न मैं प्रताणित करूंगा और न ही शिवानी को मारू पीटुंगा,'' परन्तु वो नहीं माना और दहेज की वजह से 20.01.2026 को फिर से मारा–पीटा गया, जिस पर थाना–गिरवां पुलिस द्वारा समझौता करा लिया गया था, परन्तु देवेश अपनी आदतों से बाज नहीं

Digitally signed by ARPANA SHARMA
Date: 2026.06.03 13:12:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आया और पति देवेश, जेठ अरूण, जेठानी मंजु व भतीजा पियूष द्वारा दिनांक 13.04.2026 को दहेज की मांग पूरी न होने के कारण शिवानी को जबरिया जहर खिलाकर मार डाला और उसको सूचना दिया कि आकर शिवानी को मेडिकल कालेज बांदा से ले जाओ। वह अपनी पत्नी के साथ जब मेडिकल कालेज बांदा पहुंचा, तो शिवानी की मृत्यु हो चुकी थी। शिवानी को उक्त सभी लोगों ने एक राय होकर मार डाला है। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया है।

3. आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में आधार लिये गये है कि माननीय न्यायालय में उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रकरण उपरोक्त में उसका कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में भी विचाराधीन नहीं है और न ही खारिज हुआ है। वह बिल्कुल निर्दोष है और प्रकरण उपरोक्त में उसे व उसके परिवार को लांछित व बेईज्जत करने की गरज से साजिशन झूंठा फंसाया गया है। उसकी शादी बगैर किसी दान–दहेज के हंसी–खुशी सम्पन्न हुई थी और उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहा है। वह व उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने मृतका शिवानी या उसके किसी परिवारीजन से कभी भी किसी किस्म के दहेज व चार पहिया गाड़ी की मांग नहीं किया है और न ही इस संदर्भ में मृतका शिवानी को कभी भी शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। उसके परिवार का आपसी बंटवारा दिनांक 25.01.2011 को हो चुका है तभी से उसका अपने माता–पिता के साथ तथा उसके भाई अरूण कुमार अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अलग रह रहे है और दोनो परिवारों का खाना–पीना, घर–गृहस्थी व बंटवारे में अंकित खेती–बाड़ी सब कुछ अलग अलग है और बाद परिवारिक बंटवारा दोनों परिवार के मध्य एक दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में किसी का कोई दखल नहीं है। उसके घर व बड़े भाई अरूण कुमार तिवारी के घर अलग–अलग, बिजली कनेक्शन अलग–अलग, घरेलू गैस, ग्राहक कार्ड, राशन कार्ड, सभी कुछ अलग–अलग है तथा परिवार रजिस्टर में भी यथावत प्रदर्शित है। फिर भी उसके बड़े भाई व भाभी, भतीजे को फर्जी तौर पर प्राथमिकी में जबरन नामित कर दिया गया है। मृतका शिवानी के पिता, भाई व चचेरे भाई शादी के बाद से लगातार उससे पैसा लेते रहे है जो अब तक करीब 7 लाख रूपया की धनराशि उसके द्वारा उन्हें दी जा चुकी है। नगद धनराशि देने के अलावा जो ऑनलाइन पेमेन्ट के माध्यम से धनराशि दी गयी है, उसका प्रमाण भी संलग्न है। उस पर दबाव बनाकर शिवानी के माता–पिता द्वारा दिनांक 25.07.2025 को महोबा स्थित शिवानी की मां आश देवी के प्लॉट के बगल से शिवानी के नाम मु0 पांच लाख रूपये का प्लॉट भी उससे खरीदवाया गया, जिसे उसको कर्ज लेकर मजबूरन खरीदना पड़ा। प्लॉट का कर्ज अदा करने के लिये उसके कहने पर शिवानी ने अपने माता–पिता से उसके द्वारा दिये गये पैसों की मांग की, लेकिन शिवानी के बार–बार मांगने पर भी उसके मायके वालों ने दिये गये पैसे

वापिस नहीं किये और दिनांक 12.04.2026 को शिवानी से उसके माता–पिता ने पैसा देने से स्पष्ट इंकार कर दिया और यह भी धमकी दी कि दोबारा यदि पैसे की बात की, तो तेरा मायका भी हमेशा के लिये छूट जायेगा। माता–पिता व भाईयों द्वारा पैसा अदायगी से इंकार करने के बाद शिवानी को बहुत धक्का लगा और वह गुमसुम सी हो गयी, लेकिन उसने इस स्थिति में भी शिवानी को समझाया कि तुम ब्लड पेशर की मरीज हो अपने दिल पर बोझ न लो वह किसी भी तरह से कर्ज भी अदा कर देगा, लेकिन भावुक शिवानी पर उसकी बातों का कोई असर समझ में नहीं आया। दिनांक 13.04.2026 सुबह लगभग 10 बजे अचानक शिवानी की तबियत बिगड़ने पर वह घ ाबड़ा गया और उसे लगा कि मायके वालों की बात को लेकर शिवानी ने ऐसा क्या किया? उसने तुरन्त साधन की व्यवस्था कर करीब 11 बजे मेडिकल कॉलेज बांदा शिवानी को लेकर पहुंच गया, जिसका करीब 2 से 3 घण्टे उपचार के बाद अस्पताल में ही निधन हो गया। शिवानी की शव विच्छेदन आख्या के मुताबिक भी उसके शरीर पर किसी तरह की कोई चोट नहीं पायी गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि शिवानी की मौत उक्त कारणों से उत्पन्न सदमे के कारण ह्दय घात से हुई है। शादी से लेकर शिवानी की मौत तक उसने शिवानी को किसी भी संदर्भ में कभी भी उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया है, बल्कि वह शिवानी के माता–पिता व भाईयों से स्वयं प्रताड़ित था। वह जब भी किसी सिलसिले में सुसराल जाता था, तो उससे आये दिन सादे कागजों व स्टाम्पों में शिवानी के माता–पिता व भाई दबाव बनाकर जबरन हस्ताक्षर भी करा लेते रहे है। उसके विरूद्व शिवानी के मायके पक्ष द्वारा कथित शिकायते फर्जी, बनावटी, साजिशन व पेशबन्दी में उल्लिखित की गयी है। शिवानी की मृत्यु में वह किसी भी प्रकार से गुनहगार नहीं है। शिवानी की हालत बिगड़ने पर उसने ही शिवानी के मायके के परिवारीजन को सूचित किया था और उनकी उपस्थिति पर ही मृतका की संपूर्ण विधिक कार्यवाही व अंतिम संस्कार भी सम्पन्न हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी है जिसका कोई समुचित स्पष्टीकरण प्रदर्शित नहीं है। उसके व मृतका के संसर्ग से एक पुत्र का जन्म हुआ है, जो मां व दादी की मौत हो जाने के कारण अपने बाबा के संरक्षण में है। बाद घटना शिवानी के पिता व उसके मायके के परिवारीजन द्वारा रिपोर्ट न करने के एवज में अनुचित धन की मांग की गयी, परन्तु उसने व उसके परिवारीजनों ने धन न दे पाने में असमर्थता जतायी, जिसके परिणाम स्वरूप वादी द्वारा मनगढन्त व असत्य तथ्यों के आधार पर मुकदमा कायम कराया गया है। मृतका शिवानी के अंतिम संस्कार व तेरहवी आदि के सारे कार्यक्रम उसके द्वारा किये गये व कराये गये है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 01.05.2026 से मण्डल कारागार, बांदा में बन्द है। उसके अलावा घर गृहस्थी, खेती–बाड़ी व घरेलू मवेशी आदि की व्यवस्था देखने वाला अन्य कोई नहीं है। वह पर्याप्त जमानते देने को तैयार है। जमानत का दुरूपयोग नहीं

करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ताफैसला मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त होने योग्य कहा है।

5. जमानत प्रार्थनापत्र पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा आदेशार्थ पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6. पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि अभियुक्त देवेश तिवारी पर वादी मुकदमा की पुत्री व उसके परिवार वालों से अतिरिक्त दहेज के रूप में चार पहिया गाड़ी की मांग करने तथा उक्त दहेज की मांग की पूर्ति न होने पर वादी मुकदमा की पुत्री के साथ मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता कर जबरिया जहर खिलाकर उसकी दहेज हत्या कारित किये जाने का गंभीर आरोप है। वादी मुकदमा व अन्य साक्षीगणों ने अपने–अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी.एन.एस.एस. में घटना का समर्थन करते हुए अभियुक्त द्वारा मृतका से अतिरिक्त दहेज के रूप में चार पहिया गाड़ी मांगने का कथन किया गया है। अभियुक्त द्वारा शादी के लगभग 6 वर्ष 11 माह के अन्दर मृतका की असामान्य परिस्थितियों में दहेज मृत्यु कारित की गयी है। मामला गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अन्य जो तर्क प्रस्तुत किये गये है, वह साक्ष्य एवं विचारण का विषय है जिसका कोई लाभ अभियुक्त को इस स्तर पर नहीं दिया जा सकता है।

7. अतः अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत हेतु दर्शित आधार पर्याप्त एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8. आवेदक/अभियुक्त देवेश तिवारी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अल्पना)
दिनांकः 03.06.2026 सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे0ओ0 कोड नं0 यू0पी0 05748)